यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी, कालसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, कालसी के माह 04/2015 से 06/2017 तक के लेखा-अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि शंकर एवं एस.एस. राना, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.07.2017 से 02.08.2017 तक श्री एस.के. जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1). <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कालसी

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	186.09	169.78	139.97	109.19	-	47.08
2016-17	-	-	197.95	188.40	144.13	112.98	-	40.70

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	परियोजना स्तरीय मिशन हेतु मानव संशाधन 2235027960105	375000.00	312244.00	0	62756.00
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 2235021020110	42000.00	39080.00	0	2920.00
	पुष्टाहार कार्यक्रम 2235027960102	17000000.00	13917942.00	0	3082058.00
		17417000.00	14269266.00	0	3147734.00

2016-17	पुष्टाहार कार्यक्रम 2235027960102	15800000.00	12715505.00		3084495.00
	समन्वित बाल विकास योजना 2235021020102	100592.00	100588.00		04.00
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 2235021020110	35000.00	32540.00		2460.00
		15935592.00	12848633.00		3086959.00

(ii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव → 2. निदेशक → 3. डी.पी.ओ. → 4. सी.डी.पी.ओ.

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा बाल विकास परियोजना अधिकारी, कालसी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी, कालसी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया नन्दा देवी योजना, वृद्ध महिला पोषण का विस्तृत व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- विभागीय उदासीनता के कारण 'नन्दा देवी कन्या योजना' के अंतर्गत कुल 19 लाभार्थियों को रू. 15000/- प्रति की दर से रू. 2.85 लाख का भुगतान किया जाना लंबित रहना।

राज्य सहायतित नंदा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्ते पूरी करते हो चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जीवित संताने भी है, को दिया जाना है। योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में रू. 15000/- की धनराशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त के रूप में बालिका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकतम 1 माह के अन्दर 5000/- की धनराशि A/C Payee चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष रू. 10,000/- की धनराशि की F.D बैंक में कन्या तथा उसके माता के नाम से संयुक्त रूप से कराई जायेगी। द्वितीय किश्त के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता-पिता के खातें में E-Transfer के माध्यम से रू. 5000/- की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। शेष धनराशि को पुनः 8 वर्षों की अवधि के लिये F.D करा दी जायेगी। जिसमें से तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत् होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विगत दो वर्षों (2015-16, 2016-17) की अवधि के दौरान इकाई को 675 लाभार्थियों हेतु रू. 1,01,25,000/- की धनराशि आवंटित की गयी। लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक 675 लाभार्थियों के सापेक्ष 656 लाभार्थियों को ही योजना के लाभ से लाभान्वित किया गया था, जबकि 19 लाभार्थी इस योजना के लाभ से वंचित थे, जिनको रू. 15000/- प्रति की दर से कुल रू. 2.85 लाख का भुगतान किया जाना लंबित था। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि लाभार्थियों के खाता संख्या ठीक न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। वंचित लाभार्थियों को शीघ्र योजना का लाभ दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के लाभ हेतु आवेदन पत्र परियोजना स्तर पर ही प्राप्त किये जाते है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसकी ठीक से जांच कर समस्त कमियों को उसी समय पूर्ण करा लिया जाना चाहिए था, जो लापरवाही के कारण पूर्ण नहीं किया गया।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण 19 लाभार्थियों को योजना के लाभ से वंचित रखते हुये रू. 15000/- प्रति की दर से कुल रू. 2.85 लाख का भुगतान लंबित रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- रू. 79.78 लाख के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं.-460/XVII(4)/2016-129/06 TC, दिनांक 10.02.2016 तथा आई.सी.डी.एस. निदेशालय के पत्रांक - C-29/रिपोर्ट/14/2017-18, दिनांक 05.04.2017 द्वारा मा. मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के कार्यान्वयन हेतु आवंटित धनराशि (वर्ष 2015-16 एवं 2016-17) के उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

इकाई के उक्त योजना से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि मा. मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रियान्वयन हेतु इकाई को वर्ष 2015-16 में रू. 31,96,800.00 तथा वर्ष 2016-17 में रू. 4781500.00 की धनराशियाँ आवंटित हुई थी जिसे इकाई द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों की माता समितियों के खातों में हस्तान्तरित किया गया था।

हस्तान्तरित धनराशियों के व्यय होने के पश्चात् मुख्य सेविकाओं द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बाल विकास परियोजना अधि. कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने चाहिए तथा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण पत्रों के आँकड़ों को संकलित करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को उपयोग प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने चाहिए।

इकाई द्वारा माता समिति के खातों में उक्त धनराशियाँ हस्तान्तरित तो की थी परन्तु उक्त दोनों वर्षों के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि मुख्य सेविकाओं को निर्देश दिये गये है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र लेकर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः रू. 79.78 लाख के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, कालसी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्रीमती माया भटनागर	सी.डी.पी.ओ.	01.04.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी, कालसी को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी-1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)